

डिक्री व मुकद्दमें इवतदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाव्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्डाधिकारी राजाखेडा

अज इजलास :- श्री देवी सिंह (आर.ए.एस.)

व मु० उनवान :-

- 1 गोरा पुत्री रनसिंह उर्फ रतन सिंह पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी हाल ग्राम खण्डेर तहसील फतेहाबाद, आगरा उ०प्र०
- 2 कलावती पुत्री रन सिंह उर्फ रतन सिंह पत्नी संजय सिंह जाति राजपूत निवासी हाल फरासपुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

--- वादीगण

बनाम

1. देवेन्द्र सिंह } पिसरान रनसिंह उर्फ रतनसिंह जाति राजपूत निवासी हाल गांव अयेला
2. श्यामसुन्दर } तहसील खेरागढ आगरा ।
3. शान्तीदेवी पत्नी रनसिंह उर्फ रतनसिंह जाति राजपूत निवासी हाल गांव अयेला तहसील खेरागढ आगरा ।
4. तहसीलदार राजाखेडा वहैसियत लैण्ड होल्डर

-----प्रतिवादीगण

दावा:- बंटवारा काश्त, मय स्थाई
निषेधाज्ञा 88,53,188 आरटीए

निर्णय दिनांक 11.12.2021

मु० नम्बर 78/21

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरु मुझ देवी सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा द्वारा हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 297 क्षे० 0.3541 है०, 683/69 क्षे० 0.1897 है० कुल कित्ता 2 क्षेत्रफल 0.5438 है० बांके ग्राम बरसला तहसील राजाखेडा पर दर्ज मृतक रतन सिंह के वारिसान् बादीगण सं० 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण सं० 1 लगायत 3 को हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार रहेंगे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के इन्द्राजात कायम किये जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवी सिंह)

आर.ए.एस.

उपखण्डाधिकारी

राजाखेडा

He